न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :—गीतेश श्री मालवीय, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 6/2017 (उदयपुर आर्डर)

रामा पिता देवा जी गाडरी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर।

.... अपीलान्ट

बनाम

1. दीपा पिता कालू जी गाडरी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. हरिराम पिता कालू जी गाडरी, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. उदा पिता कना जी सुथार, निवासी तारावट, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (मृतक) नाम तर्क किया गया
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्त0 अधि0—1955 विरूद्ध निर्णय
उपखण्ड अधिकारी, वल्लभनगर
दिनांक 30.05.2016 प्र.सं. 54/09

———::———

उपस्थित :— 1—श्री ओंकारलाल डांगी अभिभाषक अपीलान्ट
2—श्री विजयकुमार ओस्तवाल/गौरव बाबेल अभि.रे.सं. 1, 2
3— श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

निर्णयदिनांक13—06—2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया किमौजा तारावट, तहसील वल्लभनगर में आराजी नंबर 482, 1066, 1067, 1074, 1075, 1076 कुल कि[illegible] रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित होकर राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एवं उस पिता [illegible] गाडरी के नाम 1/2, 1/2 हिस्से अनुसार दर्ज होकर इसी अनुसार उपभोग उपयोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रार्थी की उक्त आराजियात में बाधा उत्पन्न करते हैं तथा जबरन कब्जा करने की धमकी देते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1 से 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के उक्त हिस्से में जबरन प्रवेश नहीं करें तथा शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, न किसी अन्य से करावें।

अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक30–07–2016 सेप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उभयपक्ष को मूलवाद के निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश दिये, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–02–2017 को प्रस्तुत की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2 की ओर से वकील श्री विजय कुमार ओस्तवाल तथा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करअभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सूचना दिये नियत पेशी दिनांक से पूर्व प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित किया है, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। जानकारी होते ही अपील अविलम्ब प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर भी उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलान्ट ने कहा है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 उदा पिता कना की मृत्यु हो चुकी है इसलिए उनके विरूद्ध किसी प्रकार की दाद नहीं चाहते हैं। अतः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 का नाम रेकार्ड से हटाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 18:08:53 IST
Reason: SelfAttested

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा की पत्रावली पर संलग्न रजिस्टर्ड ए.डी. जो पुनः न्यायालय हाजा को वापस हुई है, उसके अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 उदा की मृत्यु दिनांक

दिनांक 10–02–2020 से पूर्व हो चुकी है। अतः रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 उदा का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पेशी दिनांक 30–05–2016 की कोई सूचना नहीं दी गयी। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र में चाही गयी दाद को बिना देखे ही राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रेकार्ड के संबंध में कोई दाद नहीं चाही गयी थी। अतः अपील स्वीकार कर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में धारा 212 रा.का.अ. के प्रार्थना पत्र में चाही गयी दाद अपीलान्ट को दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–07–2016 की पेशी नियत थी, किन्तु इससे पूर्व ही दिनांक 30–05–2016 को निर्णय पारित कर दिया, जिसकी सूचना रेस्पोन्डेन्ट को नहीं दी गयी। अतः प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जावे।

हमने उक्त राजीनामें एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पेश प्रार्थना पत्र में विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के विरूद्ध इस आशय की निषेधाज्ञा जारी करवाना चाहते हैं कि विपक्षी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 वादग्रस्त आराजियात में अनाधिकृत प्रवेश नहीं करें तथा प्रार्थी/अपीलान्ट को उनके हक हिस्से की जमीन का शान्ति पूर्वक उपयोग–उपभोग करने देंवे व इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, उन्हें जमीन से बेदखल नहीं करें। पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट तारावट में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित करते हुए प्रकरण को प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अशोधनीय क्षति प्रार्थी/अपीलान्ट के पक्ष में मानने के बावजूद प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा चाही गयी पूर्वोक्त दाद की जगह उभयपक्षों को राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति मूलवाद के निस्तारण तक बनाये रखने के आदेश दिये। यह विचारणीय निष्कर्ष है कि जब अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकारण प्रार्थी के पक्ष में माना तो उन्हें चाही गयी दाद क्यों नहीं दी गयी और उन्हें क्यों राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति कायम करने हेतु पाबन्द किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय करने के दौरान प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्यों की अनदेखी कर तथ्यों के विपरीत निर्णय पारित किया गया है, जो निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30–05–2016 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित की जाकर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर पुनः विवेचन करते हुए पक्षकारों को सुनकर नये सिरे से निर्णय पारित करें। निर्णय आज दिनांक 13–06–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(गीतेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील अधिकारी

उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Gitesh Shree Malaviya
Date: 2023.08.01 13:08:53 IST
Reason: SelfAttested